गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 02.06. 2018 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 02.06.2018 को प्रातः 11:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष में संपन्न हुई, बैठक के प्रारंभ में कुलसचिव जी ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदया की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

1.	प्रो. अंजिला गुप्ता, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो. पी.के. बाजपेयी	सदस्य
3.	प्रो. ए.एस. रणदिवे	सदस्य
4.	प्रो. अनुपमा सक्सेना	सदस्य
5.	प्रो. मनीष कुमार श्रीवास्तव	सदस्य
6.	डॉ. एस.एस. धुरिया	सदस्य
7.	डॉ. एम.सी. राव	सदस्य
8.	डॉ. राकेश पाण्डेय	सदस्य
9.	प्रो. एम.के. सिंह	विशेष आमंत्रित
10.	डॉ. पारिजात ठाकुर	विशेष आमंत्रित
11.	डॉ. एस.एस. ठाकुर	विशेष आमंत्रित
12.	डॉ. नमिता शर्मा	विशेष आमंत्रित
13.	डॉ. अलका मिश्रा	विशेष आमंत्रित
14.	डॉ. आर.एस. ठाकुर	विशेष आमंत्रित
15.	डॉ. नीलकंठ पानीग्राही	विशेष आमंत्रित
16.	प्रो. शैलेन्द्र कुमार, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :-

01 प्रो. बी. एन. तिवारी
02 प्रो. व्ही. एस. राठौर
03 प्रो. व्ही. डी रंगारी
04 डॉ. रेणु भट्ट

निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

विषय क्र. 01 विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 03.05.2018 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 03.05.2018 के कार्यवृत्त की संपुष्टि की गई।

विषय क्र. 02 UFM प्रकरण पर जारी किये गये किये दण्ड प्रावधान के व्याख्या पर विचार।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने प्रकरण का अवलोकन किया तथा पाया कि दंड 'ई' के प्रावधान स्पष्ट है तथा दंड में शिथिलता प्रदान नहीं किया जा सकता है।

समिति ने यह भी अनुभव किया इस दंड के अधिरोपण से छात्र/छात्राओं के पाठ्यक्रम की अवधि प्रभावित होती है। अतः समिति ने निर्णय लिया कि छात्र पर आरोपित दंड को यथावत रखा जाय।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि ऐसे समस्त प्रकरणों में दंड अधिरोपित किये जाने की स्थिति में दंड हेतु गंवाये गये अवधि की गणना किसी भी पाठ्यक्रम के पूर्ण करने की

अधिकतम अवधि में नहीं की जायेगी। यह अवधि पृथक से होगी तथा इसे अधिकतम अवधि से कभी भी घटाकर पाठ्यक्रम अवधि की गणना नहीं की जायेगी।

विषय क्र. 03 **छात्र परिषद् के अभ्यावेदन दिनांक 10.05.2018 पर विचार ।**

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि अभ्यावेदन में अंकित बिंदुओं पर वि.वि. द्वारा किये जाने वाली प्रकिया एवं विधि मान्य स्थिति का स्पष्ट उल्लेख करते हुए छात्र परिषद् को पत्र के माध्यम से जानकारी प्रेषित की जाये।

विषय क्र. 04 **अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला में सत्र 2017–18 में प्रवेशित कतिपय छात्रों के शुल्क वापसी पर विचार।**

समिति ने निर्णय लिया कि गुरू घासीदास विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 23 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार शुल्क वापसी हेतु AICTE के प्रावधान लागू होंगे एवं AICTE के शुल्क वापसी के प्रचलित प्रावधानानुसार प्रवेशित आवेदकों के द्वारा जमा की गई को लौटाने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जाये।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रत्येक प्रकरण का पृथक–पृथक परीक्षण विभाग/अध्ययनशाला स्तर पर कर लिया जाये एवं प्रभावी प्रावधानों के प्रकाश में शुल्क वापसी का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाकर शुल्क लौटाने की कार्यवाही की जाये।

विषय क्र. 05 Centre for Endangered Languages को Anthropology विभाग के अधीन संचालित करने पर विचार ।

समिति ने निर्णय लिया कि Centre for Endangered Languages को पृथक से केन्द्र के रूप में ही संचालित किया जाये ना कि किसी विभाग के अंतर्गत।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि Centre for Endangered Languages के अंतर्गत संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों का निर्धारण BOS, Anthropology द्वारा किया जाये।

समिति ने यह और भी भी निर्णय लिया कि ऐसे पाठ्यक्रम निर्धारण के दौरान आंग्ल एवं विदेशी भाषाएं विभाग के एक या दो विद्वानों को विशेषज्ञ के रूप में बैठक में अवश्य रूप से आमंत्रित किया जाये।

विषय क्र. 06 **बालक/बालिका छात्रावासों के वार्डनों की दिनांक 21.05.2018 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त पर विचार करना।**

बालक/बालिका छात्रावासों के वार्डनों की दिनांक 21.05.2018 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त पर स्थायी समिति ने बिंदुवार चर्चा की तथा निम्नानुसार निर्णय लिये गये –

1. बिंदु कमांक 01 से 12 तक (बिंदु कमांक 5 को छोड़कर) एवं 14 पर वार्डनों द्वारा लिये गये निर्णयों का स्थायी समिति ने अनुमोदन किया
2. बिंदु कमांक 13 के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि अंतिम पंक्ति में सुधार किया जाये तथा निम्न प्रावधान लागू किये जाये –

If the hostellers do not deposit the mess fee upto 10th of the next month, the Concerned Warden will issue a Show Cause notice to the concerned student. In case, the student does not submit his/her reply in due course of time and does not show his/her willingness to deposit the requisite fee, the appropriate action including expulsion of the hostellers from the hostel on the recommendation of the Chief Warden be taken by the competent authority.

3. बिन्दु क्रमांक 14 के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि अंतिम वाक्य (अंतिम तीन लाइनों) में सुधार किया जाये तथा निम्न प्रावधान लागू किया जाये–

For the submission of bills of vender and payment of mess cut to eligible students, a uniform procedure in electronic sheet will be followed and will be provided by the Concerned Warden to Chief Warden through their respective Administrative warden.

4. बिंदु क्रमांक 15 पर यह निर्णय लिया गया कि केवल Caution Money को Hostel Caution Money लिखा जाये तथा व्यक्ति विशेष पर टूट–फूट की जिम्मेदारी निर्धारित करने एवं अर्थदंड का निर्धारण करने हेतु समिति गठित की जावे। इस समिति के सदस्य मुख्य छात्रावास अधीक्षक, अधिष्ठाता छात्रकल्याण एवं मुख्य कुलानुशासक होंगे। उक्त समिति की अनुशंसा पर ही सक्षम स्वीकृती उपरांत कार्यवाही की जा सकेगी।
5. बिंदु क्रमांक 16 के संबंध में निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित शुल्क संरचना पर पुनर्विचार हेतु विषय मुख्य अधीक्षक/अधीक्षकों को वापस किया जाये।
6. नवीन बालक छात्रावास की व्यवस्था हेतु मुख्य छात्रावास अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर बिंदुवार (बिन्दु क्रमांक 1 से 7) चर्चा की गई एवं सभी प्रस्तावों को अनुमोदित किये जाने का निर्णय स्थायी समिति द्वारा लिया गया।

विषय क्र. 07 विभिन्न अध्ययनमण्डलों के बैठक कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

स्थायी समिति ने निम्नलिखित अध्ययनमण्डलों के उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि के कार्यवृत्तों का अनुमोदन किया –

अध्ययनमंडल का नाम	**बैठक तिथि**
Board of Studies in Chemistry	**03-11-17**
Board of Studies in Chemical Engg.	**15-05-18**
Board of Studies in Industrial & Production Engg.	**22-02-18**
Board of Studies in Information Technology	**25-05-18**

अध्यक्ष की अनुमति से

01 विश्वविद्यालय के कतिपय छात्रावासों के नामकरण पर विचार किया गया । समिति ने निर्णय लिया कि नवीन बालक छात्रावास में से एक बालक छात्रावास का नाम डॉ. भीमराव अंबेडकर बालक छात्रावास रखा जाये तथा दूसरे बालक छात्रावास का नामकरण किये जाने हेतु कुलपति महोदया समिति की ओर से अधिकृत रहेंगी।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि बालिका छात्रावास का नाम राजमोहिनी देवी बालिका छात्रावास रखा जाये।

उपस्थित सदस्यों एवं अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव **कुलपति/अध्यक्ष**